आखिर कब तक!

सुहास कुमार

महिलाओं के प्रति हिंसा क्या-क्या डरावने रूप ले सकती है? इन सबको ज़्यादातर अलग-अलग घटनाओं के रूप में लिया जाता रहा है। उन्हें यही महसूस कराया जाता रहा है जैसे गलती उनकी ही हो। कुछ अपराध बोध, कुछ संस्कारवश, कुछ हीन भावनावश वे खामोश ही रहती हैं।

कुछ साल पहले की बात है। तब मैं गोरखपुर में रहती थी। मेरी छोटी बहन मेरे पास आई थी। उसका बच्चा वहीं होना था। हम अस्पताल में थे। एक दिन शाम को कुछ दूर के कमरे से बहुत ज़्यादा रोने-चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझसे रहा नहीं गया।

पता चला कि वह लड़की दर्दों की वजह से नहीं बल्कि इस डर से रो रही थी कि कहीं तीसरा बच्चा भी लड़की ही न हो जाए। 4 और 2 साल की बच्चियों की मां खुद भी बच्ची सी ही लग रही थी। उसकी डरी सहमी आंखें मैं आज भी भूल नहीं पाती हूं। उसे धमकी दी गई थी कि अगर तीसरी भी लड़की हुई तो उसे मायके भेज दिया जाएगा। दो दिन बाद उस लड़की ने खिड़की से छलांग लगा दी थी। तीसरा बच्चा भी लड़की ही पैदा हुई थी।

कुछ दिन पहले हमें श्रीमती सुमन कोलंगटवार से चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में हुए एक महिला शिविर की रिपोर्ट मिली। शिविर में महिलाओं की आपबीती आपको बताना चाहूंगी। चिमूर गांव की महिला कुली येरावा ने बताया उसके एक के बाद एक दो लड़कियां हुईं। सास, ननद, पति सब उसे बहुत तकलीफ़ देते थे। यह कह कर उसे घर से निकाल दिया गया कि उसके तो लड़का होगा ही नहीं। कोर्ट में गुज़ारे के लिए केस किया। वह जीती भी मगर पति पैसा देता नहीं। वह क्या करे?

रशीदा बेगम ने रोते-रोते बताया—उसके एक लड़की है। उसके पैदा होने के गम ने उसके पति को शराबी और जुआरी बना दिया। यह उसके पति का कहना है और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया।

सावित्री ने बताया कि उसका पति उसे और उसकी लड़की को बेचने निकला। विम्मी ने बताया कि उसके पति ने उसके पिता से 2000 रु० की मांग की थी। गरीब पिता कहां से देता। अब पति ने दूसरी औरत रख ली। उसे घर से निकाल दिया। एक युवती ने बताया उसके तो बेटा पैदा हुआ पर पति का कहना है कि उसका बाप कोई और है। इस वजह से उसे घर से निकाल दिया। कई बार शादी तो लड़के कर लेते हैं, फिर छोड़कर भाग जाते हैं।

नए रास्ते ढूंढें

मां-बाप के घर में सहारा नहीं मिलता। भाई-भाभी चैन से रहने नहीं देते। कुछ तो पढ़ी-लिखी न होने की वजह से, कुछ गलत सोच की वजह से। तुरंत नौकरी भी नहीं मिलती है।

कारण अकारण मारपीट, पिता से आर्थिक सहायता के लिए दबाव डालकर तंग करना। घर-घर की कहानी है। घर-बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उनकी रहती है। पति की आमदनी कितनी है विरली ही जानती होंगी। जो भी पति मर्जी से दे दे। मरखप कर घर तो चलाना ही है। काम बाहर भी करती हैं तो दोहरा बोझ भी सहती हैं।

इस भयावह स्थिति से निकलने के रास्ते हमें ही ढूंढने होंगे।

मासूम लड़कियां घरों में, ससुराल में मरती हैं। अपराधी खुले आम घूमते हैं। असल में हमें ऐसे हालात बनाने होंगे कि लड़कियों को मरना न पड़े। जिंदगी से जूझने के लिए उन्हें पूरी तरह तैयार करना होगा। लड़की को यह सोचकर नहीं पालना होगा कि उसे ब्याह कर पति के घर जाना है जहां उसे सब सुख हासिल होंगे। यह सच्चाई से कोसों दूर है।

लड़की को एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह पालना होगा। उसके सभी जन्मजात गुणों को विकसित होने का मौका देना होगा। उसे शिक्षित करना होगा। उसे सम्मानपूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए देना होगा। उसे अपने पर भरोसा हो, वह अपना भला बुरा सोच सके, अपनी बात कह सके, सब ज़रूरी चीज़े हैं। लालची, लोभी लड़कों और उनके माता-पिता का बहिष्कार करना होगा।

गांधीजी ने कहा था

गांधीजी ने 'यंग इंडिया' पत्रिका (अक्टूबर 1929) में कहा था—

"हिन्दू संस्कृति ने पत्नी को पति के बहुत आधीन रहने और पति में पूर्ण रूप से खो जाने पर ज़ोर देकर बहुत गलती की है। फलस्वरूप पति कभी-कभी अपने अधिकार का अर्जन और प्रयोग सीमा से बाहर करता है। उसका व्यवहार क्रूरता के निम्नतम स्तर तक गिर जाता है। **इस तरह की ज़्यादतियों का इलाज़, कानून के ज़रिए नहीं, स्त्रियों की सही शिक्षा से होगा। ऐसे पतियों के अमानवीय व्यवहार के विरोध में जनमत तैयार करना होगा।**

"अगर कोई लड़की प्रताड़ित है तो उसके भाई व रिश्तेदारों को यह कह कर हाथ नहीं झाड़ लेना चाहिए कि अब जैसे भी हो उसे पति के साथ ही रहना है। वह क्यों एक गुनाहगार पति के साथ ज़िंदगी बिताए? उसे अलग सम्मानपूर्वक ज़िंदगी बिताने का पूरा मौका मिलना चाहिए। उसे पति को मारपीट के जुर्म में सज़ा दिलवानी चाहिए। पति से भरण-पोषण की मांग करनी चाहिए।"

गांधीजी के विचार बहुत प्रगतिशील थे। हम में से कितनी स्त्रियां यह दावा कर सकती हैं कि उनके पुरुष संबंधियों के विचार प्रगतिशील हैं? हमारी सोच कब बदलेगी?

□